प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.05.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ को बेचने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 860 ग्राम अवैध गांजा व 30 पुडिया कुल 22 ग्राम स्मैक तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 01.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ को बेचने वाले अभियुक्तगण 1.अरशद पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला लक्ष्मी गार्डन नियर जूस वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम गांगी थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 20 वर्ष 2. आसिफ पुत्र आरिफ निवासी मौहल्ला लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद स्थाई पता मौहल्ला खालापार थाना खालापार जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 किलो 860 ग्राम अवैध गांजा व 30 पुडिया स्मैक कुल 22 ग्राम बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दिल्ली के रहने वाले फरीद नाम के व्यक्ति से चोरी छिपे अवैध गांजा व स्मैक खरीद कर लाते हैं तथा अधिक पैसे कमाने के लिये इसी मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर राह चलते व्यक्तियों को छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेच देते हैं। आज हम यह अवैध गांजा व स्मैक बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.अरशद पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला लक्ष्मी गार्डन नियर जूस वाली गली थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद स्थाई पता ग्राम गांगी थाना किशनगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

2. आसिफ पुत्र आरिफ निवासी मौहल्ला लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद स्थाई पता मौहल्ला खालापार थाना खालापार जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष।

वाँछित अभियुक्त का नाम व पता -

1.फरीद पुत्र नामालूम निवासी दिल्ली

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 किलो 860 ग्राम अवैध गांजा व 30 पुडिया स्मैक कुल 22 ग्राम तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लोनी बार्डर क्षेत्रान्तर्गत हुई नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म की घटना में ,थाना लोनी बाँर्डर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 01 अदद स्कूटी बरामद ।

घटना / कार्यवाही का विवरण - दिनांक 30.05.2026 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पडोस के रहने वाले अभियुक्त सिराज पुत्र हमीद शाह नि0 30 फुटा रोड अमित बिहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद द्वारा करीब 03 माह पूर्व गलत काम किये जाने की घटना कारित की गयी थी । जिससे वादी की पुत्री गर्भवती हो गयी । आज दिनांक 01.06.2026 को थाना लोनी बाँर्डर पुलिस टीम द्वारा सेवाधाम से टीलामोड रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी स्कूटी सवार 01 व्यक्ति आता दिखायी दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर जीडीए ग्राउण्ड की तरफ भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर घेर लिया जिस पर फिर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गयी आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा उस पर फायरिंग की गई जिसमे वह बदमाश दाहिने पैर की पिंडली में गोली लगने से घायल हो गया । घायल अभियुक्त से इनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सिराज पुत्र हमीद शाह नि0 30 फुटा रोड अमित बिहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद बताया घायल अभियुक सिराज उपरोक्त से 01 तंमचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर,01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर व एक अदद स्कूटी बरामद हुई है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण एंव अग्रिम कार्यवाही का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि मैनें मौका पाकर पीडिता के साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सिराज पुत्र हमीद शाह नि0 30 फुटा रोड अमित बिहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सिराज

अभियुक्त सिराज उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद पर 01 अभियोग बलात्कार / पोक्सो एक्ट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण

1 01 तंमचा .315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
3.01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
4.एक अदद स्कूटी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
थाना लोनी बाँर्डर पुलिस टीम

थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का विवरण

दिनांक 31.05.2026 को थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद पर वादी श्री राजेश त्यागी (पुत्र श्री बिजेन्द्र त्यागी, निवासी बसन्तपुर सैतली, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद) द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त यश खटीक ने उनके भतीजे चिराग त्यागी उर्फ तुषार (उम्र करीब 24 वर्ष, पुत्र मनोज त्यागी, निवासी बसन्तपुर सैतली, थाना मुरादनगर - पैरा एथलीट) की गोली मारकर हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण किया गया। विवेचना में घटना में संलिप्त अभियुक्त यश खटीक, सह-अभियुक्त गगन त्यागी तथा अभय उर्फ अभिनव के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक घटना कारित किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये।

दिनांक 01.06.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण (1) यश खटीक और (2) गगन त्यागी को रेलवे रोड बजरिया के पास से गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है। वांछित तीसरे अभियुक्त अभय उर्फ अभिनव की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा जारी है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त यश खटीक ने पूछताछ में बताया कि, "मैं व चिराग त्यागी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में पैरा एथलीट (400 मीटर रेस) की प्रैक्टिस करते थे। चिराग त्यागी का सिलेक्शन एशियन गेम्स में हो गया था। मेरी आँखों की मेडिकल (डॉक्टरी) रिपोर्ट जर्मनी जानी थी, जिसे चिराग ने खराब करा दिया था। इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। चिराग लगातार मेडल जीतता जा रहा था, जिससे मुझे हीन भावना होने लगी और मेरा करियर बर्बाद हो गया। मैंने अपने साथी गगन त्यागी के साथ मिलकर चिराग की हत्या करने की योजना बनाई। गगन त्यागी ने कहा कि उसका साथी अभय (निवासी भीकनपुर) पिस्टल लाकर दे देगा। बाद में अभय उर्फ अभिनव ने मुझे एचआरआईडी (HRID) कॉलेज, दुहाई के पास पिस्टल लाकर दे दी।

दिनांक 29.05.2026 को चिराग त्यागी बैंगलोर से ट्रायल देकर आया था। दिनांक 30.05.2026 को सुबह करीब 09:00 बजे हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कैब द्वारा साई उपवन, गाजियाबाद आये। पिस्टल व कारतूस मेरे पास थे। योजना के अनुरूप साई उपवन के एकान्त स्थान पर मैंने चिराग त्यागी को पीछे से एक गोली मारी जो उसके सिर में लगी। गोली लगने के बाद चिराग कुछ दूर चला, तभी मैंने तुरन्त दूसरी गोली चला दी जो उसकी पीठ पर लगी और वह वहीं गिर गया। चिराग का मोबाइल लेकर हम ऑटो/ई-रिक्शा से मुरादनगर गए। रास्ते में सिम निकालकर मोबाइल नाले में फेंक दिया था। हमने चिराग त्यागी के

इंडियन बैंक खाते से पैसे भी निकाल लिए थे, जिसमें से 62,000/- रुपये की यह पिस्टल खरीदी थी। शेष बचे रुपये व पिस्टल मैंने अपने घर के पास छिपाकर रख दिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:

1. **यश खटीक** (पुत्र गौरव खटीक, निवासी- डेरी वाली गली, यूनुस पहलवान के घर के पास, गोपाल पुरम, रावली रोड, थाना मुरादनगर, गाजियाबाद), उम्र - 22 वर्ष।
2. **गगन त्यागी** (पुत्र प्रदीप त्यागी, निवासी- लक्ष्मी एन्क्लेव, चर्च कॉलोनी, थाना मुरादनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद), उम्र - 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग:

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को दिलाई आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री मनीष कुमार मिश्र तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय सिहानीगेट द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय के साथ वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री अखिलेश कुमार द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302/34/201 भादवि में अभियुक्तों 1- उमेश शर्मा पुत्र शिवकुमार 2- अंकुर शर्मा पुत्र शिवकुमार निवासीगण ग्राम मुबारकपुर, खेकड़ा जनपद बागपत को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 01.06.2026 को धारा- 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई के सिर पर लोहे की रॉड व बीयर की बोतल से प्रहार करके हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 31.07.2016 को थाना सिहानीगेट पर वादी द्वारा उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

श्री अखिलेश कुमार वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	**म0मु0आ0 रेनू** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**का0 विनोद कुमार** पैरोकार थाना सिहानीगेट